**नीतिगत/महत्वपूर्ण**
**संख्या-29 /2018/ 2051/46-3-18-3(34)/2018-टी.सी.**

प्रेषक,

**राकेश कुमार मिश्र,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**गन्ना एवं चीनी आयुक्त,**
उ.प्र., लखनऊ।

**चीनी उद्योग अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2018**

विषय- पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में लागू की गयी "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा वापस की जाने वाली मूलधन एवं ब्याज को राजकोष में बैंकों के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु प्राप्ति लेखा शीर्षक के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-14/2018/1764/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 तथा अधिसूचना संख्या-15/2018/1719/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-18/2018/1998/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-23 /2018/ 2080 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 29 नवम्बर, 2018 एवं संख्या-26 /2018/2087/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 तथा इस संबंध में योजनान्तर्गत चीनी मिलों से पुनर्वापसी के रुप में बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाले मूलधन एवं ब्याज को राजकोष में जमा किये जाने हेतु प्राप्ति लेखा शीर्षक आवंटित किये जाने के अनुरोध विषयक अपने पत्र संख्या-98/लेखा - बजट(चीनी)- 2018- 19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वित्त विभाग के परामर्शानुसार, इस योजनान्तर्गत चीनी मिलों से पुनर्वापसी के रुप में बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाले मूलधन एवं ब्याज को अधोलिखित प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा:-

| मूलधन की वापसी हेतु प्राप्ति लेखा शीर्ष | ब्याज की वापसी हेतु प्राप्ति लेखा शीर्ष |
|---|---|
| **6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-** | **0049- ब्याज प्राप्तियां-** |
| **04- चीनी -** | **04- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां -** |
| **190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-** | **190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज-** |
| **02- चीनी मिलों को कर्ज -** | **03- चीनी मिलों को दिये गये ऋणों पर ब्याज -** |

3- कृपया योजनान्तर्गत मूलधन एवं ब्याज के रुप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंकों के माध्यम से उपर्युक्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

**राकेश कुमार मिश्र**
विशेष सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 29 /2018/ 2051/46-3-18-3(34)/2018-टी.सी.,तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/संस्थागत वित्त/सहकारिता/न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।

3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।

4- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।

6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।

12- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।

13- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

14- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

15- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, **(लीड बैंक)**, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को इस योजना के प्राविधानों से अवगत कराने एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/गाइडलाइन निर्गत कराने का कष्ट करें।

16- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ।

17- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

18- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को अपने स्तर से सभी सदस्य निजी चीनी मिलों को परिचालित/संसूचित करने का कष्ट करें।

19- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

20- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

21- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से)**

22- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 / वित्त (आय ब्ययक) अनुभाग-1/2, उ.प्र.शासन।

23- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2

24- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

**कमल किशोर गुप्त**
संयुक्त सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।